

राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय

विषय : संकाय सदस्य द्वारा अभिविन्यास कार्यक्रम/पुनश्चर्या पाठ्यक्रम (यूजीसी-एएससी/आरसीसी) में भाग लेने की अनुमति के लिए प्रशासनिक अनुमोदन ।

विश्वविद्यालय के शिक्षक द्वारा भरे जायें:

1. शिक्षक का नाम :
2. पदनाम : विभाग
3. कार्य ग्रहण की तिथि : नियुक्ति की पद्धति :
4. मूल वेतन : कुल सरकारी सेवा (वर्ष/माह):.....
5. संकाय सदस्य द्वारा आवेदित अभिविन्यास कार्यक्रम / पुनश्चर्या पाठ्यक्रम:
आयोजक संस्थान
- अवधि : दिनांक सेतक सप्ताह
6. शिक्षक द्वारा पूर्व में भाग लिए गए अभिविन्यास कार्यक्रम / पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का विवरण:
यदि हाँ, अवधि: दिनांक सेतक स्थान:
7. क्या आवेदन को विश्वविद्यालय द्वारा अग्रेषित / अनुशंसा किये जाने की आवश्यकता है -
निर्धारित प्रारूप में [] | अलग से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाना है [] | अग्रेषण पत्र []
अतिरिक्त जानकारी (यदि कोई हो) :

दिनांक :

शिक्षक के हस्ताक्षर

विभागाध्यक्ष/समन्वयक/ अधिष्ठाता की अनुशंसा/अग्रेषण/टिप्पणियां:.....

तिथि सहित हस्ताक्षर :

केवल कार्यालय प्रयोग हेतु

क्या विश्वविद्यालय कार्यालय में प्राप्त आवेदन की संस्तुति/अग्रेषण संबंधित विभागाध्यक्ष/समन्वयक/अधिष्ठाता द्वारा किया गया है।

(संबंधित कर्मचारी)

(अनुभाग अधिकारी)

(संयुक्त कुलसचिव)

(कुलसचिव)

अनुमति के लिए आवश्यक आदेश हेतु प्रस्तुत

कुलपति

यूजीसी-एएससी/आरसीसी द्वारा संचालित शिक्षकों के लिए यूजीसी समर्थित अभिविन्यास कार्यक्रम/पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के संबंध में दिशानिर्देशों/विनियमों का सारः

- यूजीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार, पाठ्यक्रम ऐसे सेवारत शिक्षकों के लिए आयोजित किए जाते हैं, जो यूजीसी-एएससी नियमों और विनियमों के अनुसार पात्र हैं।
- नवनि्युक्त शिक्षकों को 6 वर्ष तक की निरंतर सेवा तक अभिविन्यास कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों में भाग लेना पड़ सकता है, यहाँ तक कि कैरियर उन्नति योजना (सी.ए.एस.) के अंतर्गत व्याख्याताओं द्वारा 6 वर्ष बाद भी भाग लेना पड़ सकता है।
- सभी पात्र शिक्षकों को कार्यक्रम/पाठ्यक्रम के तहत संदर्भ की शर्तों के अनुसार अनिवार्य रूप से अभिविन्यास कार्यक्रम/पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में भाग लेना आवश्यक है ...
- विश्वविद्यालय इच्छुक पात्र शिक्षकों को उनकी पात्रता के आधार पर यूजीसी-एएससी पाठ्यक्रम में भाग लेने की अनुमति देगा अन्यथा संबंधित शिक्षकों को नहीं भेजने के कारणों की सूचना देगा, क्योंकि शिक्षकों के लिए आयोजित इस कार्यक्रम का लाभ अंततः विश्वविद्यालय / कॉलेज को होगा।
- इच्छुक शिक्षक को यूजीसी-एएससी के अपेक्षित शुल्क के साथ कार्यक्रम में भाग लेने के लिए उचित माध्यम/नियोक्ता के माध्यम से अपना अनुरोध/आवेदन प्रस्तुत करना होगा। प्रायोजक विश्वविद्यालय/महाविद्यालय कार्यक्रम के लिए चयनित शिक्षकों को पूरे वेतन और भत्तों के साथ ड्यूटी पर मानेंगे।
- पुनश्चर्या पाठ्यक्रम सेवारत शिक्षकों को अपने साथियों के साथ अनुभवों का आदान-प्रदान करने और एक-दूसरे से सीखने का अवसर प्रदान करता है और विषयों/प्रौद्योगिकियों आदि में नवीनतम प्रगति के लिए एक मंच प्रदान करता है।
- व्याख्याता को भी एक अभिविन्यास कार्यक्रम और एक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में भाग लेना चाहिए। (पीएचडी डिग्री धारकों को एक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम से छूट दी जाएगी)। सीनियर स्केल से सिलेक्शन ग्रेड के लिए सीनियर स्केल में प्लेसमेंट के बाद लेक्चरर को पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में भाग लेना चाहिए। दो क्रमिक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में सामान्यतः एक वर्ष का अंतराल होना चाहिए और यदि शिक्षक की सी.ए.एस.के लिए पात्रता शर्तों को पूरा करना आवश्यक हो तो इसमें ढील दी जा सकती है।
- लेक्चरर से लेक्चरर (सीनियर स्केल) और लेक्चरर (सीनियर स्केल) से लेक्चरर (सेलेक्शन ग्रेड) तक कैरियर में उन्नति के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में भागीदारी अनिवार्य है।
- अस्थाई/संविदा शिक्षक, जो किसी ऐसे संस्थान में कम से कम दो शैक्षणिक सत्रों में शिक्षण कर रहे हैं, जो कम से कम दो वर्षों के लिए किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध है, तो उन्हें अपने कौशल को बढ़ाने के लिए अभिविन्यास कार्यक्रमों/पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों में भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है।
- यूजीसी मेजबान विश्वविद्यालय को पाठ्यक्रम चलाने के लिए मुख्य रूप से विशेषज्ञों, प्रतिभागियों, पुस्तकों / सामग्री, कार्य पर खर्च और ए.एस.सी.के लिए कर्मचारियों के वेतन की लागत हेतु शत प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

Sub. : Administrative approval for permission to attend Orientation Programme / Refresher Course (UGC-ASCs/RCCs) by the faculty member.

To be filled by the University teacher:

1. Name of the Teacher:
2. Designation: Department
3. Date of Joining: Mode of Appointment:
4. Pay (PB & AGP): Total Govt. Service (yrs/months):.....
5. Orientation Course / Refresher Course applied by the faculty member:
Organised by
- Duration: From to weeks
6. Details of past Orientation Programme / Refresher Course attended by the teacher:
If yes, duration: from to place:
7. Whether the application requires forwarding/was forwarded/recommendation by University -
in prescribed format [] | separate NoC to be issued [] | Cover Letter []
Additional information (if any):

Date:

Signature of Teacher

Recommendation / Forwarded / Remarks of the HoD / Coordinator / Dean of faculty:

.....
.....

Signature with Date:

For Office Use only

Whether the application received in the University office has been recommended / forwarded by the concerned HoD / Coordinator / Dean of faculty.

(Dealing Hand) (Section Officer) (Joint Registrar) (Registrar)

Submitted for necessary orders for permission

Hon. VC

Abstract of Guidelines/Regulations regarding UGC supported Orientation Programme / Refresher Course for teachers to be conducted by UGC-ASCs/RCCs:

- As per guidelines of the UGC, such courses are convened for in-service teachers, eligible as per UGC-ASC rules and regulations.
- The newly appointed teachers may have to attend orientation programmes/course upto 6 years of continuous service, even after 6 years by the lecturers under Career Advancement Scheme (C.A.S.).
- All eligible teachers are essentially required to attend orientation programme/refresher course as per terms of reference under programme/course...
- The University will allow interested eligible teachers to attend the UGC-ASC course based on their eligibility otherwise reasons will have to be intimated to the teachers concerned for not sending of teacher for the purpose so organized for their teachers will ultimately benefit the University/college..
- An interested teacher required to submit their request/application through proper channel/employer for participation in the programme with requisite fee to UGC-ASC. The sponsoring University/college will treat teachers selected for the programme as on duty with full pay and allowances...
- Refresher Course provides opportunity for serving teachers to exchange experiences with their peers and mutually learns from each other and provide forum to abreast latest advances in subjects/technologies etc.
- The lecturer should also participate in one orientation programmes and one refresher courses. (those with Ph.D Degree would be exempted from one refresher course). For senior scale to selection grade after placement in the senior scale, a lecturer should participate in two Refresher Courses. The gap in two successive Refresher Course should normally be one year and may be relaxed if essential for teacher to fulfill eligibility condition for C.A.S.
- The participation in Orientation Course and Refresher Course is mandatory requirement for career advancement from lecturer to lecturer (Senior Scale) and from Lecture (Senior Scale) to Lecturer (Selection Grade).
- Temporary/contract teachers, who have been teaching for at least two academic sessions in an Institution which has been affiliated to a University for at least two years may be allowed to participate in the Orientation Programmes/Refresher Courses to enhance their skills.
- UGC provide cent percent financial assistance to the host university to run courses mainly towards cost of resource persons, participants, books/materials, working expenses and salaries of staff for A.S.C.